डायरी नं0 1058
फाईल नं0 18/1/c
दिनांक 28-2-19

आदेश

जनपद अल्मोड़ा मे विकास खण्ड ताडीखेत के अन्र्तगत शहीद–राजेश अधिकारी विनायक ढुंगा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.414 हैक्टयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल–2.828 हैक्टयर सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सबंध मे प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII (II) /2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन मे उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सबंध मे तहसीलदार, रानीखेत के पत्र संख्या–18/र.का0 क्षतिपूरक–वृक्षारोपण/2018–19 दिनांक 21.12.2018 पर उपजिलाधिकारी, रानीखेत की संस्तुति सहित आख्या दिनांक रहित के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के पत्रांक 54/18सी. दिनांकः रानीखेत 05.01.2019 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दिनांक 20.11.2018 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप–2, तथा उप जिलाधिकारी रानीखेत की संस्तुति सहित आख्या सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिर्वतन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय न्यू0 फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/81/2015/एफ0सी0/1691,दिनांकः 15.01.2018 के द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु ग्राम–बिल्लेख, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र–बिल्लेख तहसील–रानीखेत, के गै0ज0 वि0ख0खा0संख्या–62 की श्रैणी–9(3) ड़ "बंजर काबिल आवाद" भूमि के पैमायसी खेत नम्बर –5999 मध्ये रकबा 2.828 हैक्टयर, भूमि की **कुल 2.828 हैक्टयर** सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार रानीखेत उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा,वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या– 1887 /ग्यारह–60 /2018–19, दिनांकः 25-02 ~~जनवरी~~, 2019

प्रतिलिपिःनिम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, रानीखेत जनपद अल्मोड़ा।
4– अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,रानीखेत जनपद अल्मोड़ा।
5– तहसीलदार, रानीखेत को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,अल्मोड़ा